प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **156/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

रामकिशन पोहिया पुत्र घीसाराम पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी पताः 152, दीनदयाल नगर, आर.वी.एम. अस्पताल के पीछे, भरतपुर–321001

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/156/24/1296–97 दिनांक 08.11.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्र.अ.स./156/2024/1183–84 दिनांक 18.11.2024 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 06.09.2024 के पत्र पर हुई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई, जिसके क्रम में इस कार्यालय के आवक अनुभाग से रिपोर्ट प्राप्त की, प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 06.09.2024 का कोई पत्र प्राप्त नहीं होना पाया गया। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवेदन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सामाजिक शोध पत्रिका में प्रकाशित "भगवान बुद्ध अनीश्वरवादी नहीं थे" की प्रतिलिपि/पत्रिका चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा सहायक जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर एवं दण्डनायक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए सूचना चाही गई है, उक्त पता दो कार्यालयों का मिश्रण होने से लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर को जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने पत्रांक 1183–84 दिनांक 18.11.2024 से अवगत कराया कि आवक शाखा के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से है एवं उक्त आवेदन पत्र सहायक जन सूचना अधिकारी (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग), चेतक सर्कल द्वारा प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से संबंधित प्रथम अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार इस कार्यालय में निहित नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी संबंधित कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त करें। सूचना नहीं मिलने की स्थिति में सक्षम अपील अधिकारी (निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर